संख्या-399/22-2-2014-17(236)/2012

प्रेषक,

पलबिन्दर सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग- लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर, 2015

विषयः- जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाल बहादुर सिंह पुत्र श्री वीर प्रताप सिंह, निवासी जनपद-सुल्तानपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1588/पो0-5-दया0-अन्य-118/10-12-2013 दिनांक 17-01-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी लाल बहादुर सिंह पुत्र श्री वीर प्रताप सिंह, निवासी ग्राम-बिसावां, थाना-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा मकान पर जबरदस्ती कब्जे के विवाद को लेकर दिनांक 25-05-1986 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या का अपराध कारित किया गया। उक्त बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-334/1989 में भा0द0वि0 की धारा-307 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, तृतीय, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 21-06-1996 को 07 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18-06-2013 तक 02 वर्ष 07 माह 19 दिन की अपरिहार एवं 03 वर्ष 02 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, उम्र, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी लाल बहादुर सिंह पुत्र श्री वीर प्रताप सिंह की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी लाल बहादुर सिंह (बन्दी संख्या-354/2010) पुत्र श्री वीर प्रताप सिंह, निवासी जनपद-सुल्तानपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-399/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सुल्तानपुर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

क-1

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in